Sem.4
MJ-6

अर्थ-परिवर्तन के कारण एवं दिशाएँ

भाषा का एकमात्र कार्य अर्थ-सम्प्रेषण है, इसलिए शब्दार्थ भाषा के प्राण हैं। इस रूप में वक्ता द्वारा ~~उच्चरित भाषा से~~ श्रोता के कर्णेन्द्रिय के माध्यम से प्राप्त उच्चरित भाषा से जो मानसिक प्रतीति होती है, वही अर्थ है। हम जानते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध सार्वभौमिक, सर्वस्थानिक या सर्वकालिक न होकर यादृच्छिक है। अर्थात् मानव-समुदाय के द्वारा किसी शब्द का निर्धारित अर्थ मान लिया गया होता है। किन्तु शब्द का निर्धारित अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता, उसमें भाषा-विकास के साथ-साथ परिवर्तन भी होता है। जैसे - संस्कृत में 'जंघ' शब्द घुटना के नीचे वाले पैर के हिस्से के लिए प्रयुक्त था किन्तु हिन्दी में वही 'जंघा' घुटने से ऊपरी हिस्से के लिए प्रयुक्त होता है।

शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन के कई कारण होते हैं। मोटे तौर पर सादृश्य, बल एवं भाव-साहचर्य ही वे आधार होते हैं जिनके कारण अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। ये विभिन्न कारण इस प्रकार हैं —

① बल का अपसरण - प्रायः शब्द के एक मुख्यार्थ के साथ-साथ अनेक अर्थ-छायाएँ भी होती हैं और किसी एक अर्थ-छाया पर अधिक बल पड़ने से वही मुख्यार्थ हो जाता है। जैसे - 'गोस्वामी' का प्राचीन अर्थ-गायों का स्वामी था, किन्तु धनी, माननीय आदि अर्थ-छायाएँ निकलने लगीं। किन्तु बाद में यह इन्द्रियों का स्वामी और अब तो जाति-विशेष का सूचक हो गया है।

② वातावरण में परिवर्तन - भौगोलिक या सामाजिक या प्रथा-संबंधी वातावरण के चलते शब्दार्थ-परिवर्तन हो जाता है। जैसे, भाई या बहन शब्द का अर्थ किसी सभा में वक्ता द्वारा बोले जाने के वातावरण में बदल जाता है।

③ नम्रता प्रदर्शन - आदर या नम्रता प्रदर्शित करने के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है जैसे - 'मेरे घर जूठन गिराइए' में जूठन गिराना का अर्थ 'भोजन करना' नहीं होता किन्तु यही अर्थ संकेतित होता है।

④ आधार-सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम — कभी-कभार उपयुक्त शब्द के अभाव में आधार सामग्री के नाम पर ही उस वस्तु का नाम प्रचलित हो जाता है, जैसे - ग्लास (शीशा) से बनने के कारण एक बर्तन-विशेष का नाम भी 'ग्लास' हो गया है।

(5) निर्माण-क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम — कभी-कभी वस्तु को तैयार करने में जो क्रिया होती है, उसी पर वस्तु का नाम भी प्रचलित हो जाता है। जैसे – संस्कृत में 'ग्रंथ' एक क्रिया है, जिसका अर्थ 'गूँथना' होता है। प्राचीन काल में भोजपत्र पर पुस्तक लिखकर उन्हें एक-साथ गूँथ दिया जाता था, इसलिए पुस्तक के लिए 'ग्रंथ' प्रचलित हुआ।

(6) दूसरी भाषा में शब्द का गमन — किसी भाषा का शब्द जब अन्य भाषा में प्रयुक्त होता है तो प्रायः अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। जैसे - अंग्रेजी में 'कोट' का अर्थ आवरण या लेप है किन्तु हिन्दी में यह एक पोशाक-विशेष का अर्थ देता है।

(7) जानबूझकर नये अर्थ में प्रयोग — आवश्यकतानुसार लोग पुराने शब्द का नये अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे - 'रेडियो' के लिए पंतजी ने 'आकाशवाणी' शब्द का प्रयोग किया और अब देववाणी अर्थ की जगह आकाशवाणी रेडियो के लिए प्रयुक्त होने लगा।

(8) अशोभन के लिए शोभन शब्द का प्रयोग - अशुभ या बुरे, अश्लील, कटु, भयंकर, अंधविश्वास या गंदे-छोटे कार्यों, भावों या वस्तुओं के लिए समाज सुन्दर अर्थवाले शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे - मरने के लिए 'गंगालाभ', पाखाना के लिए 'शौच', चेचक के लिए 'माता', रसोइये के लिए 'महाराज' शब्द इसी तरह के परिवर्तन हैं।

(9) अधिक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग — कभी-कभी आलस्य में मनुष्य अर्थ-सम्प्रेषण के लिए अधिक शब्दों की जगह एक ही शब्द बोलते हैं और वह शब्द उस पूरे अर्थ का बोध कराने लगता है। जैसे - रेलवे स्टेशन को 'स्टेशन' या बाइसिकिल को साइकिल या बाइक कहना।

(10) सादृश्य — कभी-कभी शब्दों में साम्य के आधार पर अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। जैसे - 'अभिज्ञ' और 'अविज्ञ' में साम्य है। अतः लोगों ने विज्ञ के अर्थ में भिज्ञ और अविज्ञ के अर्थ में अभिज्ञ का प्रयोग करना शुरू किया।

(11) अज्ञान — गलत अर्थ में शब्द का प्रयोग प्रचलित होने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे - संस्कृत 'धन्यवाद' का अर्थ प्रशंसा है, किन्तु शुक्रिया के अर्थ में प्रचलित होने से अर्थ बदल गया है।

(12) पुनरावृत्ति — कभी-कभी शब्द के दुहरे प्रयोग से उसके आधे भाग का अर्थ बदल जाता है। जैसे - 'विन्ध्याचल पर्वत' प्रयोग के कारण पहाड़ का नाम विन्ध्य की जगह विन्ध्याचल हो गया है।

(13) एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन — कभी-कभी भाषा में शब्द के तत्सम और तद्भव दोनों रूपों का प्रचलन होता है और उनका अर्थ

सीमित हो जाता है। जैसे - स्तन (स्त्री के लिए) और थन (पशु के लिए) या गर्भिणी (स्त्री के लिए) और गाभिन (पशु के लिए)।

(14) किसी राष्ट्र, जाति, सम्प्रदाय, धर्म या वर्ग के प्रति मनोभाव — इनके प्रति किसी अन्य समाज में जैसी धारणा बनती है, उसके अनुरूप शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे - वैदिक काल में 'असुर' देवता के अर्थ में प्रचलित था, किन्तु ईरान से संबंध खराब होने पर उनके मुख्य देवता (अहुरमज़्दा) के चलते 'असुर' राक्षसवाची हो गया। इसी तरह हिन्दू (अपवित्र) फारसी में या उजबक (मूर्ख) हिन्दी में हो गया।

(15) शब्द-वर्ग के किसी शब्द का अर्थ बदलने से अन्य शब्दार्थ में भी परिवर्तन — किसी शब्दार्थ का परिवर्तन होने पर उस वर्ग के अन्य शब्दार्थ भी बदल जाते हैं। जैसे - 'दुहिता' का अर्थ जब गाय दूहनेवाली से बेटी अर्थ में बदला तो दौहित्र (नाती) जैसे शब्दार्थ भी बदल गये।

(16) साहचर्य — कभी-कभी साहचर्य से भी अर्थ परिवर्तित होते हैं। जैसे - 'सिन्धु' शब्द बड़ी नदी या समुद्र का अर्थ देता था। इसी कारण एक विशेष बड़ी नदी का नाम ही सिन्धु हो गया। धीरे-धीरे आसपास की भूमि 'सिन्ध', वहाँ के घोड़े और नमक 'सैन्धव' कहलाने लगे।

(17) किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का मुख्य होना - इस कारण वही विशेषता उस वर्ग या वस्तु का बोध कराने लगती है। जैसे - कम्युनिस्टों के झंडे का रंग लाल होता है। बाद में लाल झंडा, लाल सलाम जैसे शब्द केवल कम्युनिस्ट का ही बोध कराने लगे।

(18) व्यंग्य — व्यंग्यार्थ-प्रयोग के कारण शब्दार्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे - 'अक्ल के खजाना' या 'पूरे पंडित' का अर्थ मूर्ख हो गया है।

(19) भावावेश — प्रेम, क्रोध, करुणा या घृणा के आवेश में बोले गए शब्दों के अर्थ प्रायः परिवर्तित होते हैं। जैसे मित्रों द्वारा प्रेम के आवेश में 'बेटा' या 'साला' शब्द या फिर घृणा के आवेश में 'राम-राम' शब्द के अर्थ बदल जाते हैं।

(20) एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग के लिए — वर्ग की किसी वस्तु का नाम पूरे वर्ग के लिए प्रयुक्त होने से अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे 'स्याही' (काली रंग की) का अर्थ सभी रंगों की स्याही के अर्थ में हो गया है - लाल स्याही आदि।

(21) दूसरी भाषा का प्रभाव — अन्य भाषा के प्रभाव से भी अर्थ-परिवर्तन होता है। जैसे - संस्कृत शब्द - 'समारोह' (अच्छी तरह चढ़ना) का अर्थ हिन्दी के प्रभाव से सम्मेलन अर्थ देने लगा है।

उपर्युक्त विभिन्न कारणों के साथ-साथ अन्य कुछ कारण हो सकते हैं, जो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे - व्यक्तिगत योग्यता या शब्दों के अर्थ में अनिश्चय या आलंकारिक प्रयोगों के कारण भी

शब्दार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण शब्दार्थ में कई विशेषताएँ दिखती है, जैसे - अनेकार्थक, एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द या समध्वनीय भिन्नार्थक शब्दों का होना।

शब्दों के अर्थ में परिवर्तन मुख्यतः तीन रूपों या दिशाओं में होता है। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी भाषावैज्ञानिक ब्रील ने विचार करते हुए ये तीन दिशाएँ बतलायी है। —

① अर्थ-विस्तार — शब्द के अर्थ में जब विस्तार हो जाता है या सीमित अर्थ की जगह व्यापकता आ जाती है, वह अर्थ-विस्तार है। जैसे — तेल या स्याही शब्द। 'तेल' का अर्थ तिल का रस या 'स्याही' का अर्थ काले रंग का तरल था, किन्तु आज विस्तार पाकर तेल का अर्थ न केवल तिलहन बीजों के रस बल्कि मछली-तेल, मिट्टी-तेल भी हो गया है। इसी तरह स्याही आज सभी रंगों के तरल पदार्थ को कहते हैं, जिसका उपयोग लेखन में होता है।

② अर्थ-संकोच — विस्तार के ठीक विपरीत जब शब्दार्थ सीमित अर्थ देने लगता है, उसे अर्थ-संकोच कहते हैं। जैसे - संस्कृत भाषा में 'मृग' सभी पशुओं का अर्थ देता था। किन्तु आज उसका अर्थ संकुचित होकर केवल हिरण हो गया है। इसी तरह 'धान्य' या 'यव' शब्द थे जो अन्न-मात्र के लिए प्रयुक्त थे, किन्तु अब केवल धान और जौ का अर्थ बतलाते हैं।

③ अर्थादेश — भाव-साहचर्य के कारण कभी-कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ गौण अर्थ भी प्रयुक्त होने लगते हैं। आगे चलकर सूक्ष्मता-स्थूलता या अपकर्ष-उत्कर्ष के आधार पर गौण अर्थ ही प्रधान हो जाता है और पूर्व का प्रधान अर्थ लुप्त हो जाता है। जैसे — 'दुहिता' शब्द गाय को दूहनेवाली अर्थ देता था, प्रायः बेटियों द्वारा यह क्रिया करने के कारण बेटी को दुहिता भी कहा जाने लगा होगा। अब यही गौण अर्थ - बेटी-ही प्रधान अर्थ हो गया है। इसी तरह, मुग्ध (मूर्ख), सभ्य (सभा के योग्य) या कर्पट (फटे-पुराने कपड़े) का अर्थादेश अब प्रसन्न, अच्छे व्यक्ति या कपड़ा के अर्थ में हो गया है।

इस तरह, ऐतिहासिक कालक्रम में प्रायः सभी भाषाओं के शब्दार्थ बदलते रहते हैं और भाषा विकसनशील बनी रहती है। ध्वनि-परिवर्तन या रूप-परिवर्तन के समान अर्थ-परिवर्तन की गति भी अत्यंत धीमी होती है।